दिनांक	आज्ञा पत्र	
30-12-19	अपील दर्ज रजिस्टर हो। कैविएटकर्ता के नोटिस जारी कर दिनांक 6-1-20 को पेश हो।	
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
6-1-20	वकील अपीलांट उप० इंस्पे० सं०। व २ की ओर से श्री सुभाषचन्द एड. ने वकालतनामा पेश किया, शामिल हो। प्रा० पत्र स्थगन की नकल दी गई। वास्ते बहस प्रा० पत्र स्थगन दिनांक 8-1-20 को पेश हो।	
8-1-20	बमुलाहिजा फरीकैन उप०। बहस वकील अपीलांट एवं कैविएटकर्ता वकील ने सहमति से करते हुये अपील स्वीकार कर रिमाण्ड करने का निवेदन किया। बहस एवं प्रकरण के तथ्यों पर गौर करने के अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना का निर्णय दिनांक 5-12-19 को खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में स्वयं मौका देखकर प्रकरण का एक माह में निस्तारण करें। पक्षकार अदालत मातहत में दि० 17-1-20 को उपस्थित हो। मुकाबली नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।	
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर